

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
18.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 09:20बजे

“आज के मुख्य समाचार”

- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं होने पर इसे संविधान की जीत बताया।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप—दशकों के इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला अधिकार कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति की बलि चढ़ा।
- प्रदेश में मौसम ने ली करवट—मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों में बर्फबारी व बारिश की जताई संभावना।

विधेयक

लोकसभा में कल संविधान— 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान था। लोकसभा में उपस्थित कुल 5 सौ 28 सदस्यों में 2 सौ 98 सांसदों ने इसके पक्ष में और 2 सौ 30 ने इसके विरोध में मतदान किया, जो दो तिहाई बहुमत से कम था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान का परिणाम घोषित करते हुए कहा कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

सभा के कुल सदस्यों के संख्या द्वारा सभा के उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई किया जाना सही नहीं है।

इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक सहित अन्य दो विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया।

जो नतीजा आया है वह इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश की महिलाओं को सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसमें विपक्ष ने साथ नहीं है बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आपने गवाया है।

प्रतिक्रिया / मुख्यमंत्री—जयराम

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह संविधान की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर निर्णय देश की व्यापक सहमति और संतुलन से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों की आड़ लेकर संविधान को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दशकों के इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला अधिकार कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति की बलि चढ़ गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नारी शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

विचित्र परिस्थिति है कि कांग्रेस का जो चेहरा बेनकाब उस वक्त हुआ जब इस बिल को समर्थन देने पर उन्होंने विरोध किया। और विरोध के कोई तथ्य नहीं थे तर्क नहीं थे छोटी-छोटी चिजों के माध्यम से इस विधेयक को रोका जाए किसी राजनीतिक दल को इससे फायदा न हो जाए। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस विधेयक को रोका जाए। मैं नहीं इस बिल को पूरे देश ने देखा की जब कांग्रेस के नेता बोल रहे थे संदन के अंदर तो कोई न तर्क था न तथ्य था कोई सिर्फ और सिर्फ रोका जाए।

धरोहर दिवस

आज विश्व धरोहर दिवस है। हर वर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2026 का विषय **संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया** है। इस बीच सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय कला को बढ़ावा देने की दिशा में सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, पहाड़ी स्थापत्य, लोककला और जीवंत परंपराओं के लिए पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और सभ्यता व इतिहास की अमूल्य धरोहरों को संजोए हुए है।

परिषद

प्रदेश पंचायतीराज विभाग ने जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। कल जारी रोस्टर के मुताबिक प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित

किए गए हैं। चार जिलों में अध्यक्ष पद अनारक्षित है जबकि दो जिलों में यह पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित रहेंगे।

होर्मुज जलडमरूमध्य

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने के ईरान के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में, गुतरश ने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह के लिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

विधेयक

ऊना जिले के लोगों में जातीय भेदभाव की रोकथाम और इस भेदभाव के पीड़ितों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रदान करते हेतु प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा मिल रहा है। देश में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है, जो इन समुदायों के सदस्यों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया, है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे उना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट

ऊना जिला के जनमानस में जातीय वेदभाव की रोकथाम और इस भेदभाव पीड़ितों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रदान प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे समाज में समरसता को बढ़ा मिल रहा है अनुसूचति जाती ओर जनजातीयवर्ग के साथ गत माह तक जिला में 73 मामलें दर्ज है। जिनमें से 57 मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं। अधिनियम के प्रावधान के तहत पीड़ितों को एक लाख रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि मिलने का प्रावधान है। पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और समाज जाती संबंधी भावनाओं से दृष्टि न हो इसके लिए समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और जिला पुलिस सतत्ता से मामलों की पहरवी और सुनवाई कर रही है आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।

टीकाकरण

प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राज्य में अब सभी कार्य दिवसों पर नियमित सत्रों के माध्यम से एचपीवी टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 28 फरवरी से शुरू इस अभियान में अभी तक शनिवार और रविवार को ही टीकाकरण किया जा रहा था। जून माह तक चलने वाले इस अभियान में 14 और 15 साल की बालिकाओं को टीका लगाया जा रहा है।

मौसम

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम ने करवट ली है। लाहौल-स्पिति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति,

किन्नौर, कुल्लू, चम्बा सहित अन्य स्थानों में बादल छाए हुए हैं। इधर प्रदेश के अन्य भागों में मौसम में आए इस बदलाव का असर बागवानी पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों सेब के बागीचों में फ्लावरिंग का समय है ऐसे में बर्फबारी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर.....

आज समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण के सुर्खी है—स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक हजार 5 सौ नौकरियां देने का निर्णय। पंजाब केसरी, हिमाचल दस्तक, का एक जैसा शीर्षक है—एक हजार 5 सौ 50 पदों पर भर्ती की मंजूरी, एक हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में तीन सौ पद महिलाओं को आरक्षित।

अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है—छह जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित, चार में ओपन।

मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है—चोटियों पर बर्फबारी से 8 डिग्री तक गिरा पारा, आज और कल 5 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि का अलर्ट।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर”

- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं होने पर इसे संविधान की जीत बताया।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप—दशकों के इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला अधिकार कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति की बलि चढ़ा।
- प्रदेश में मौसम ने ली करवट—मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों में बर्फबारी व बारिश की जताई संभावना।
